

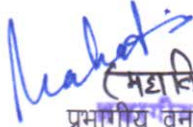
परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस-ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 10.00 कि०मी०

5

संलग्नक सं०-1.5

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के माँग का पूर्ण औचित्य

इस मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं०-640/III(2)/16-51-(एम०एल०ए०)/2015 दिनांक 22 मार्च, 2016 के द्वारा 10.00 कि०मी० की लम्बाई हेतु 35.91 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग खूँट-धामस-बसर-ज्योली मोटर मार्ग के कि०मी० 13 के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है तथा ग्राम ढैली में समाप्त होता है। उक्त के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी सर्वेक्षण किया गया, किन्तु वृक्षों के पातन एवं भूमि की उपलब्धता एवं तकनीकी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये वैकल्पिक संरक्षण निरस्त किये गये। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अन्य कोई वैकल्पिक उपयुक्त स्थल उपलब्ध नहीं है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.813 है० वन भूमि प्रस्तावित की गयी है, जो न्यूनतम है।


(महेश दत्त)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।


(अंशु अंग)।
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


(B.S. Bhat)
उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।


(अंशु अंग)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


(स. सिंह)
वन क्षेत्राधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।


(अंशु अंग)
अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


(स. सिंह)
(हस्ताक्षर)


(K.C. Bhat)
अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।